



## प्रेस नोट

दिनांक 20.08.2024

### अवैध तमंचा/ कारतूस के साथ थाना जरिया पुलिस द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.08.2025 को थाना जरिया पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त रामनरेश पुत्र चन्द्रशेखर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-155/2025 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

### अभियुक्त का विवरण:-

रामनरेश पुत्र चन्द्रशेखर (उम्र करीब 28 वर्ष) निवासी ग्राम कछवाकला थाना जरिया जनपद हमीरपुर।

### बरामदगी का विवरण-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद कारतूस जिंदा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद होना।

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.उ0नि0 बीरेन्द्र प्रसाद
- 2.हे0का0 शिवेन्द्र सिंह
- 3.का0 आशीष रजक

